अनुदान संख्या 82 - ग्रामीण विकास विभाग
GRANT No. 82 – DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	129923,02,00	129923,04,00	103656,24,80	-26266,79,20
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				26247,53,16

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2216” आवास	Major Head “2216” Housing				
मू.	O.	996600.00	786876.00	786876.62	+0.62
पु.	R.	-209724.00			
मुख्य शीर्ष “2501” ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head “2501” Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	356350.00	219539.00	219537.27	-1.73
पु.	R.	-136811.00			
मुख्य शीर्ष “2505” ग्राम रोजगार	Major Head “2505” Rural Employment				
मू.	O.	8387400.00	7791632.34	7791520.25	-112.09
पु.	R.	-595767.66			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	108985.00			
पू.	S.	1.00	95716.09	93912.37	-1803.72
पु.	R.	-13269.91			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	387750.00	..	..	..
पु.	R.	- 387750.00			
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges				
मू.	O.	2752620.00			
पू.	S.	1.00	1471151.50	1471148.12	-3.38
पु.	R.	-1281469.50			

(I) ₹451489.50 लाख का प्रावधान अट्ठाईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹451450.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2501" - "स्वरोजगार कार्यक्रम" -

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन" -

(i) "जम्मू और कश्मीर के लिए कौशल सशक्तिकरण और रोजगार स्कीम" - ₹3500.00 लाख निधियों की आवश्यकताएं राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के विशेष परियोजना संघटक संबंधी समग्र बजट प्रावधान से पूरी किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of ₹451489.50 lakhs remained wholly unutilised under twenty eight heads; of these ₹451450.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head –"2501" – "Self Employment Programme" –

(a) "National Rural Livelihood Mission"-

(i) "Skill Empowerment and Employment Scheme for Jammu and Kashmir" - ₹3500.00 lakhs - due to requirement of funds were met within the overall budget provision for the Special Projects Component of National Rural Livelihood Mission.

(ii) "महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना" - ₹11250.00 लाख;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना" - ₹6525.00 लाख; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना" - ₹4725.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलम्ब होने और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2505" - "ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम"-

(क) "सूचना, शिक्षा और संचार" - ₹200.00 लाख महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए जनसंचार माध्यमों से प्रचार अभियान को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) "सामाजिक लेखा परीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली" - ₹20000.00 लाख राज्य सरकारों द्वारा प्रायोगिक सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां स्थापित न किए जाने के कारण थे।

(ग) "नवपरिवर्तनकारी परियोजनाएं" - ₹500.00 लाख पणधारियों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "2515" -

(क) "जन सहयोग - लोक कार्रवाई उन्नयन एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद को अनुदान" - ₹3500.00 लाख लोक कार्रवाई उन्नयन एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद का पुनर्गठन किए जाने की वजह से नई परियोजनाएं स्वीकृत न किए जाने के कारण थे।

(ii) "Mahila Kisan Sashktikaran Pariyojana" - ₹11250.00 lakhs;

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Mahila Kisan Sashktikaran Pariyojana"- ₹6525.00 lakhs; and

(c) "Tribal Area Sub Plan - Mahila Kisan Sashktikaran Pariyojana" - ₹4725.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to delay in implementation of the programme owing to receipt of less number of proposals from the State Governments and availability of unspent balances of previous year.

(B) Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Scheme – National Rural Employment Guarantee Scheme" -

(a) "Information, Education and Communication" - ₹200.00 lakhs - due to non-finalisation of media campaign for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.

(b) "Social Audit and Grievance Redressal System" - ₹20000.00 lakhs - due to non-setting up of Pilot Social Audit Units by the State Governments.

(c) "Innovative Projects" - ₹500.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the stake holders.

(C) Major Head "2515"-

(a) "Public Cooperation - Grants to Council for Advancement of People's Action and Rural Technology" - ₹3500.00 lakhs - due to non-sanctioning of new projects owing to restructuring of Council for Advancement of People's Action and Rural Technology.

(ख) "अन्य व्यय - ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान" - ₹13500.00 लाख पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलबध होने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" - ₹9076.00 लाख;

(ख) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - प्रशिक्षण - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" - ₹1050.00 लाख;

(ग) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - अन्य व्यय"-

(i) "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण" - ₹1200.00 लाख; और

(ii) "बीपीएल सर्वेक्षण" - ₹2750.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) "ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के लिए प्रावधान" - ₹1500.00 लाख; और

(घ) "स्वरोजगार कार्यक्रम - राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन" -

(i) "महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना" - ₹1250.00 लाख।

(b) "Other Expenditure - Provision of Urban Amenities in Rural Areas (PURA)" - ₹13500.00 lakhs - due to availability of unspent balances of previous year.

(D) Major Head "2552"-

(a) "Self Employment Programme – Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana - Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana"- ₹9076.00 lakhs;

(b) "Other Rural Development Programme - Training – Grants to National Institute of Rural Development" – ₹1050.00 lakhs ;

(c) "Other Rural Development Programme - Other Expenditure" –

(i) "Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process" – ₹1200.00 lakhs; and

(ii) "BPL Survey" – ₹2750.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) "Provision for Urban Amenities in Rural Areas (PURA)" – ₹1500.00 lakhs; and

(d) "Self Employment Programme – National Rural Livelihood Mission" –

(i) "Mahila Kisan Sashktikaran Pariyojana"- ₹1250.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन" - ₹7249.00 लाख;

(ङ) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - डीआरडीए प्रशासन - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को सहायता" - ₹5100.00 लाख;

(च) "जिला और अन्य सड़कें" - प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य कार्यकारी अभिकरणों आदि को सहायता' - ₹230100.00 लाख;

(छ) "ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना - इंदिरा आवास योजना" - ₹39104.00 लाख;

(ज) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(i) "इंदिरा आवास योजना" - ₹22091.00 लाख;

(ii) "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" - ₹5872.00 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन" - ₹4466.00 लाख;

(झ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" -

(i) "इंदिरा आवास योजना" - ₹49705.00 लाख;

(ii) "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" - ₹3998.00 लाख; और

(iii) "राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन" - ₹3239.00 लाख।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of proposals from North Eastern States.

(ii) "Aajeevika - National Rural Livelihood Mission" – ₹7249.00 lakhs;

(e) "Other Rural Development Programme - DRDA Administration - Assistance to District Rural Development Agencies/Other Agencies" - ₹5100.00 lakhs;

(f) "District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/Other Executing Agencies etc." - ₹230100.00 lakhs;

(g) "Rural Housing - Indira Awaas Yojana – Indira Awaas Yojana"- ₹39104.00 lakhs;

(h) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "Indira Awaas Yojana"- ₹22091.00 lakhs;

(ii) "Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana"- ₹5872.00 lakhs;

(iii) "National Rural Livelihood Mission"- ₹4466.00 lakhs;

(i) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Indira Awaas Yojana"- ₹49705.00 lakhs;

(ii) "Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana"- ₹3998.00 lakhs; and

(iii) "National Rural Livelihood Mission"- ₹3239.00 lakhs.

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2216” - “ग्रामीण आवास” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “इंदिरा आवास योजना - इंदिरा आवास योजना - कार्यक्रम संघटक” - ₹95664.18 लाख की बचत (₹403896.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - इंदिरा आवास योजना” - ₹85273.32 लाख की बचत (₹368746.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - इंदिरा आवास योजना” - ₹28785.88 लाख की बचत (₹223958.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) मुख्य शीर्ष “2501” - “स्वरोजगार कार्यक्रम” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - कार्यक्रम संघटक” - ₹40927.65 लाख की बचत (₹78655.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन” -

(क) “आजीविका - ईएपी संघटक” - ₹7000.15 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Provisions under the above ten heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2216” – “Rural Housing” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Indira Awaas Yojana - Indira Awaas Yojana – Programme Component” – saving of ₹95664.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹403896.00 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Indira Awaas Yojana” – saving of ₹85273.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹368746.00 lakhs);

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Indira Awaas Yojana” – saving of ₹28785.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹223958.00 lakhs);

(III) Under Major Head “2501”- “Self Employment Programme” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana - Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana - Programme Component”- saving of ₹40927.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹78655.00 lakhs); and

(B) “National Rural Livelihood Mission” –

(a) “Aajeevika - EAP Component”- saving of ₹7000.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to receipt of less proposals from the State Governments.

(ख) "आजीविका - कार्यक्रम संघटक" - ₹6879.96 लाख की बचत (₹64770.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान अध्ययनों, प्रशिक्षण, सम्मेलनों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और सरस मेले आयोजित करने के लिए कपार्ट से अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(क) "आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन" – ₹3397.11 लाख की बचत (₹34474.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम को शुरू किए जाने संबंधी पूर्वापेक्षित शर्तों का पालन न किए जाने की वजह से राज्यों में कार्यक्रम लागू किए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(ख) "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" - ₹30378.96 लाख की बचत (₹52039.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" -

(क) "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" - ₹20886.33 लाख की बचत (₹36566.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन" - ₹1342.57 लाख की बचत (₹23846.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम शुरू किए जाने के लिए पूर्वापेक्षित शर्तों का पालन न किए जाने की वजह से राज्यों में कार्यक्रम लागू किए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(b) "Aajeevika - Programme Component" – saving of ₹6879.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹64770.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards research studies, training, conferences and receipt of incomplete proposals from CAPART for organising SARAS melas.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(a) "Aajeevika -National Rural Livelihood Mission" – saving of ₹3397.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34474.00 lakhs) was due to delay in implementation of the programme in States owing to non-compliance of the pre-requisite conditions for roll out of the programme.

(b) "Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana"- saving of ₹30378.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52039.00 lakhs); and

(D) "Tribal Area Sub-Plan" –

(a) "Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojan" – saving of ₹20886.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36566.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from the State Governments.

(b) "Aajeevika -National Rural Livelihood Mission" – saving of ₹1342.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23846.00 lakhs) was due to delay in implementation of the programme in States owing to non-compliance of pre-requisite conditions for roll out of the programme.

(IV) मुख्य शीर्ष “2505” - “ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम”-

(क) “जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ताओं और अन्यों को सहायता” - ₹164963.45 लाख की बचत (₹3165959.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “निगरानी अनुसंधान और मूल्यांकन” - ₹1107.85 की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) अनुसंधान संस्थाओं से अनुसंधान अध्ययनों के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) “कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन” - ₹1424.02 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(घ) “क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता” - ₹4350.58 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(ङ) “सूचना संचार प्रौद्योगिकी” - ₹19553.12 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head “2505”-“Rural Employment Guarantee Scheme”- savings occurred under the following heads:-

(A) “National Rural Employment Guarantee Scheme”-

(a) “Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others” - saving of ₹164963.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3165959.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(b) “Monitoring, Research and Evaluation”- saving of ₹1107.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for research studies from research institutions.

(c) “Workshops, Seminars and Conferences” – saving of ₹1424.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to holding of less workshops, seminars and conferences.

(d) “Capacity Building and Technical Support’’- saving of ₹4350.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the State Governments.

(e) “Information Communication Technology (ICT)”- saving of ₹19553.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Information Technology Institutions.

(च) "मजदूरी संवितरण के लिए सेवा प्रभार" - ₹31501.00 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डाक विभाग और संबंधित बैंकों से कम प्रस्ताव होने के कारण हुई।

(f) "Service Charges for wage disbursement"- saving of ₹31501.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Postal Department and concerned Banks.

(छ) "एमजीएनआरईजीएस कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना का विस्तार" - ₹29000.00 लाख की बचत (₹35000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा योग्य कार्यकर्ताओं का डाटा श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के साथ साझा न किए जाने के करण हुई।

(g) "Extension of Rashtriya Suraksah Bima Yojana (RSBY) to MGNREGS workers"- saving of ₹29000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35000.00 lakhs) was due to non-sharing of the data of eligible workers by the States with Ministry of Labour and Employment.

(खा) "आरक्षित निधि को अंतरण" -

(B) "Transfer to Reserve Fund"-

(क) "राष्ट्रीय रोजगार गांरटी निधि को अंतरण" - ₹272527.83 लाख की बचत (₹3300000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(a) "Transfer to National Employment Guarantee Fund"- saving of ₹272527.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3300000.00 lakhs) was due to release of less funds to State Governments under National Rural Employment Guarantee Scheme owing to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(ख) "राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण" - ₹50712.00 लाख की बचत (₹1787400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा विनिवेश प्राप्तियों के अनुमानित संग्रहण में संशोधन किए जाने के कारण हुई।

(b) "Transfer to National Investment Fund"- saving of ₹50712.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1787400.00 lakhs) was due to revision in the estimated collection of disinvestment receipts at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) मुख्य शीर्ष "2515" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "2515"- savings occurred under the following heads:-

(का) "प्रशिक्षण - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" - ₹6493.00 लाख की बचत (₹11380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और दिल्ली, पटना और जयपुर में नए केंद्रों के

(A) "Training - Grants to National Institute of Rural Development" – saving of ₹6493.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11380.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of

सृजन संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

previous year and non-clearance of proposals for creation of new centres at Delhi, Patna and Jaipur.

(खा) "डीआरडीए प्रशासन - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को अनुदान" - ₹6047.00 लाख की बचत (₹44900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "DRDA Administration - Grants to District Rural Development Agencies/Other Agencies"- saving of ₹6047.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44900.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(VI) मुख्य शीर्ष "3054" - "जिला और अन्य सड़कें - प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head "3054" - "District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana"- savings occurred under the following heads:-

(का) "जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों आदि को सहायता" - ₹1264434.99 लाख (₹1604210.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और राज्य सरकारों की आमेलन क्षमता कम होने के कारण हुई।

(A) "Assistance to District Rural Development Agencies/Other Executing Agencies etc." – saving of ₹1264434.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1604210.50 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year and less absorption capacity of the State Governments.

(खा) "राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को सहायता" - ₹130.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Assistance to National Rural Roads Development Agency" – saving of ₹130.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries.

(गा) "नाबार्ड से लिए गए कर्ज पर ब्याज के संवितरण के लिए एनआरआरडीए को सहायता" - ₹16869.01 लाख की बचत (₹94121.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नाबार्ड से अग्रिम रूप से लिए गए कर्ज की पुनर्अदायगी की वजह से ब्याज का कम संवितरण किए जाने के कारण हुई।

(C) "Assistance to NRRDA for disbursement of Interest on Loan raised from NABARD" - saving of ₹16869.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹94121.00 lakhs) was due to less disbursement of interest owing to repayment of loan taken from NABARD in advance.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹16282.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2515" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2012 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2. The above savings were partly (₹16282.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2012 under Major Head "2515" - "Other Expenditure" – under the following heads:-

(I) "ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण" - ₹3532.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3384.96 लाख था।

(II) "बीपीएल सर्वेक्षण" - ₹12750.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹11094.94 लाख था।

3. ***राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि:-***

इस निधि की स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित की गई शर्तों और सीमाओं के अनुसार उपयोग करने के लिए की गई थी। इस निधि में अनुदानों या कर्जों के माध्यम से ऐसी धनराशि जिसे केंद्र सरकार आवश्यक समझे संसद द्वारा इस संबंध में कानून द्वारा उपयुक्त विनियोग करके जमा की जाती है।

वर्ष 2012-13 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

(I) "Management Support to Rural Development Programme and Strengthening District Planning Process" - ₹3532.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3384.96 lakhs.

(II) "BPL Survey" – ₹12750.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11094.94 lakhs.

3. ***National Rural Employment Guarantee Fund:-***

The Fund was established by notification for the purpose of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 to be utilized in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government. The Fund is credited by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may consider necessary, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf.

The Account of the Fund for 2012-13 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य Nil
प्राप्तियां	Receipts	30274,72,17
अदायगियां	Payments	30274,72,17
अंतशेष	Closing Balances	शून्य Nil